

जीयोदेवी बनाम चेनाराम वगैरा

पीठासील अधिकारी - श्री भूपेन्द्र कुमार यादव, आर.ए.एस

प्रार्थनी वकील - श्री मोहनसिंह सोढ़ा

**निर्णय**

दिनांक - 03.05.2018

पत्रावली न्याय आपके द्वार 2018 लोक अदालत/कोर्ट कैम्प लीलसर में पेश हुई। विप्रार्थीगण के नोटिस तामिल सुदा प्राप्त, जो शामिल पत्रावली किये गये। प्रस्तुत प्रकरण में संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थनी ने प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि सरहद मौजा सियागपुरा, पटवार क्षेत्र लीलसर, तहसील चौहटन में खेत खसरा सं. 322/127 रकबा 10.00 बीघा स्थित है। प्रार्थनी के खेत के पास विप्रार्थीगण उक्त खातेदारी भूमि के पडोसी है। जिनके खेत प्रार्थनी के खेत के पडोस में स्थित होने के कारण बरसात के समय वक्त काश्त अक्सर विप्रार्थीगण सेढो को लेकर विवाद करते रहते है। प्रार्थनी एवं विप्रार्थीगण के मध्य सीमा को लेकर विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थनी अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगड्डी पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहती है। प्रार्थनी ने पेमाईश एवं नेखमबन्दी करने का निवेदन किया है। प्रार्थनी की दरखास्त दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रार्थनी के वक्त काश्त प्रार्थनी व विप्रार्थीगण के मध्य सीमाओ को लेकर विवाद बना रहता है, इस कारण प्रार्थनी अपनी खातेदारी भूमि की पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहती है। प्रार्थनी विवादित भूमि के खातेदार काश्तकार राजस्व रेकार्ड में दर्ज होने के कारण प्रार्थनी की दरखास्त स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थनी की दरखास्त स्वीकार की जाकर विवादित भूमि सरहद सियागपुरा, पटवार क्षेत्र लीलसर, तहसील चौहटन में खेत खसरा सं. 322/127 रकबा 10.00 बीघा भूमि की नेखमबन्दी करने का आदेश दिया जाता है। नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार चौहटन को रुपये 500/- फीस पर कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर को निर्देश दिये जाते है कि वो दोनो पक्षो के रूबरू किसी मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पैमाईश करे व भूमापक कर्ता को यह भी निर्देश दिये जाते है कि किसी सक्षम न्यायालय से स्थगन आदेश न हो तो वो दोनो पक्षो के रूबरू विवादित भूमि की मौके की स्थिति व कब्जे काश्त में परिवर्तन किये बिना, मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पेमाईश करे व नेखमबन्दी कर पालना रिपोर्ट पेश करे वक्त पेमाईश हल्का पटवारी को साथ रखे। मौका कमीश्नर को आवश्यकता होने पर संबंधित पुलिस थाना से पुलिस जाब्ता प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहरीर जारी हो। कमीश्नर को कमीश्नर फीस प्रार्थनी मौके पर अदा करेंगे।

कमीश्नर को आदेश दिया जाता है कि वे प्रार्थनी के खसरो की नेखमबन्दी विप्रार्थीगण की उपस्थिति में करावें एवं नेखमबन्दी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात न हो।

पत्रावली पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर पेश हो पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 03.05.2018 को न्याय आपके द्वार 2018 लोक अदालत/कोर्ट कैम्प लीलसर में सुनाया गया।

(भूपेन्द्र कुमार यादव)  
उपखण्ड अधिकारी, चौहटन

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाड़मेर

क्रमांक/भू.अ./2018/

प्रार्थीगण :-

1.जीयोंदेवी पत्नि मोडाराम  
जाति जाट, निवासी बेनिवालसर  
तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर

दिनांक

विप्रार्थीगण:-

1.चेनाराम 2.भीखाराम पि.चुतराराम  
जाति जटिया  
3.मेघनाथ पुत्र मुकनाराम 4.जसोदा पत्नी रायचंद  
5.गंगाराम पुत्र रायचंद 6.जगनाथ पुत्र सोना  
7.भैराराम पुत्र नगाराम, जाति जाट  
निवासी सियागपुरा (लीलसर),तहसील चौहटन

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111.128 राज.भू.राजस्व अधिनियम वास्ते करने नेखमबंदी बाबत ।

राजस्व आवेदन सं. 122/2018

दिनांक : 03.05.2018

### आदेश

तहसीलदार चौहटन को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील चौहटन, पटवार क्षेत्र लीलसर के मौजा सियागपुरा के खेत खसरा सं. 322/124 रकबा 10.00 बीघा भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार चौहटन को कमिशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमी की पेमाईश आप अपने स्तर पर टीम गठित कर दोनों पक्षों को विधि सम्मत नोटिस के जरिये सूचित कर यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तथा किसी बिन्दु को लेकर विवाद की स्थिति न हो तो उपरोक्त भूमी की मौके की स्थिति व कब्जा काश्त में परिवर्तन किये बिना पेमाईश कर नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करे।

मौका कमिशनर को आवश्यकता होने पर सम्बंधित पुलिस थाना से पुलिस जाब्ता प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है । कमिशनर फीश प्रार्थनी मौके पर अदा करेंगे । नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितो पर कुठाराघात न हों। प्रार्थनी कमिशनर को कमिशनर फीश रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे।



क्रमांक/भू.अ./2018/ 707 to 710

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार चौहटन
2. प्रार्थनी जीयों देवी
3. विप्रार्थीगण चेनाराम वगैरा
3. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/बीजराड़/सेड़वा/धौरीमन्ना/बाखासर

(भूपेन्द्र कुमार यादव)

उपखण्ड अधिकारी, चौहटन

दिनांक 04/05/18

उपखण्ड अधिकारी  
चौहटन